भेड़ प्रजनन तथा ऊन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड

की

उपविधियां

पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश

भेड़ प्रजनन तथा ऊन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की उपविधियां

नाम

1—इस समिति का नाम ----------भेड़ प्रजनन तथा ऊन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड होगा और उसका रजिस्टर्ड पता, गांव----------डाकखाना---------- तहसील----------जिला----------होगा ।

परिभाषायें

2—इन उपविधियों में कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो तो—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उ० प्र० अधिनियम सं० 11, 1966) से है तथा वह जैसा समय-समय पर संशोधित किया गया हो ।

(ख) "नियम" का तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये नियमों तथा उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों से है ।

(ग) "निबन्धक" का तात्पर्य निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश से है या ऐसे अन्य अधिकारी से है जिसे अधिनियम के अधीन निबन्धक के सभी अथवा कुछ अधिकार प्रदत्त किये गये हों ।

(घ) "समिति" का तात्पर्य भेड़ प्रजनन तथा ऊन क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० ..... से है ।

(ङ) "प्रबन्धक कमेटी" का तात्पर्य समिति की प्रबन्ध कमेटी से है जिसे अधिनियम, नियमों एवं इन उपविधियों के अधीन समिति के प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया हो ।

(च) "सचिव" का तात्पर्य समिति के सचिव से है जिसकी नियुक्ति अधिनियम, नियमों एवं इन उपविधियों के अधीन हुई हो ।

(छ) "उपविधि" का तात्पर्य समिति की तत्समय निबन्धित उपविधियों से है ।

उद्देश्य

3—समिति के उद्देश्य, सदस्यों में मितव्ययता, एक दूसरे की सहायता तथा सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ाना और सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, विशेषकर—

(क) मुख्य उद्देश्य

(1) समिति के सदस्यों से ऊन इकट्ठा करने का प्रबन्ध करना ।

(2) थोड़े समय के लिये ऊन संग्रह की आवश्यक तथा उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करना ।

(3) एग मार्क योजना के अन्तर्गत ऊन श्रेणीकरण की सुविधा प्रदान करना ।

(4) उपभोक्ता बाजारों में शीघ्र ऊन पहुंचाने तथा सस्ती पैकिंग का प्रबंध करना ।

(5) सदस्यों को शुद्ध नस्ल की भेड़ों को पालने की आदत को उत्साहित करना ।

(6) सदस्यों के पशुओं (भेड़ों) को उन्नत करने के लिये भेड़ों के गर्म होने के समय शुद्ध नस्ल के नर भेड़ों की सेवाएं उपलब्ध करना ।

(7) सभी अनावश्यक नर-पशुओं को बधिया करना ।

(8) सदस्यों को अपने अनावश्यक पशुओं को मोटा करने का प्रशिक्षण देना तथा मांस के लिये इन पशुओं की बिक्री में सहायता देना ताकि उन्हें इन पशुओं से उचित मूल्य प्राप्त हो सके ।

(9) अपने सदस्यों के लिये सम्बन्धित विभागों से प्राविधिक विषयों पर राय तथा उचित सहायता की व्यवस्था करना तथा ऊन कटाई, बुनाई, कताई आदि भेड़ पालन के उन्नत तरीकों के प्रदर्शन का प्रबन्ध करना ।

(10) नर मेढ़ा केन्द्रों से भेड़ अभिजनकों को दवा पिलाने तथा दवा में नहलाने की सुविधाएं देना, प्राथमिक चिकित्सा तथा पशु-चिकित्सा की व्यवस्था करना ।

(11) महामारी काल में शीघ्र तथा उचित चिकित्सात्मक सुविधाओं का प्रबन्ध करना ताकि हानि कम से कम या बिल्कुल न हो ।

(12) विभागीय व्याख्याओं के अनुसार प्रजनन तथा ऊन उत्पादन के ब्योरे को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना ।

(13) भेड़ों तथा मेढ़ों के स्वास्थ्य के संबंध में समय-समय पर देख-रेख का प्रबन्ध करना ।

(14) ऊन के उत्पादन को समुचित मूल्य पर बेचने के लिये ऊन तथा उनके उत्पादन का उपयुक्त विज्ञापन तथा बाजार जानकारी का उचित प्रबन्ध करके उत्पादन की बिक्री उचित मूल्य पर करना ।

(15) अभिजनकों को गृह-उद्योग चलाने, आवश्यकता से अधिक उत्पादन का उपयोग करने तथा बिक्री की लाभपूर्ण कीमतों का प्रबन्ध करने की शिक्षा देना ।

(16) समिति को उचित रूप से चलाने के लिये अर्थ का प्रबन्ध करना ।

(17) उत्साही अभिजनकों के लिये दीर्घकालीन तकावी ऋण का, जिला अधिकारी के परामर्श से, प्रबन्ध करना ।

(18) सदस्यों को उन्नत भेड़ों की खरीद, भेड़ों के रख रखाव तथा अन्य संयुक्त प्रयोजनों के लिये आर्थिक सहायता देना तथा सदस्यों द्वारा उत्पादित ऊन आदि की सिक्योरिटी पर तथा समिति द्वारा जमानत दिये जाने पर ऋणों को अग्रसारित करना ।

(19) समिति के सदस्यों के बेचे हुए उत्पादन का भुगतान, कमीशन, अन्य आदेयों तथा बकाया ऋण आदि, यदि कोई हो, घटा कर दैनिक, पाक्षिक या साप्ताहिक करना ।

(ख) गौण उद्देश्य

(20) विभागीय कर्मचारियों के सहयोग से भेड़ प्रदर्शनियों तथा सदस्यों में एवं अन्य समितियों में ऊन कताई तथा कटाई की प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करना तथा सर्वश्रेष्ठ भेड़ पालक और सर्वश्रेष्ठ ऊन काटने तथा कताई करने वाले का उन्नत उपकरणों आदि के रूप में पुरस्कार प्रदान करना ।

(21) विभाग से समिति सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करने में सहयोग करना तथा विभागीय अधिकारियों को उत्पादन का निरीक्षण करने की अनुमति देना ।

(22) पशुपालन विभाग के योग्य कर्मचारियों तथा अभिजनकों को बुलाकर मांस उपयोगी पशुओं तथा ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सदस्यों को भेड़ों की वैज्ञानिक खिलाई, देख-रेख तथा प्रबन्ध के लिये मार्ग-प्रदर्शन करना ।

(23) अन्य ऐसे कार्य करना जिनसे उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिले ।

कार्यक्षेत्र

4—इस समिति का कार्य-क्षेत्र——————————जिले के————गांव तक ही सीमित रहेगा ।

सदस्यता

5—हर व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) जिसका चाल-चलन अच्छा हो, होश-हवाश ठीक हो, जो 18 वर्ष से अधिक हो और जो समिति के कार्य-क्षेत्र में रहता हो या जमीन जोतता हो तथा स्थानीय या उन्नत नस्ल या दोनों ही की कम से कम 10 भेड़ें पालता हो तथा अधिनियम व नियमों के अधीन सदस्यता के लिये अर्ह हो इस समिति का सदस्य बन सकता है । कोई भी व्यक्ति इस समिति का जो कि पहले से ही एक दूसरी भेड़ प्रजनन तथा सहकारी ऊन क्रय-विक्रय समिति का सदस्य है, जो उसी प्रयोजन से स्थापित की गई है, सदस्य नहीं बन सकता ।

6—प्रारम्भिक सदस्य वे होंगें जो समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में हस्ताक्षर करेंगे । इसके पश्चात प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति से उन व्यक्तियों में से सदस्य बनाये जा सकते हैं जो उप विधि 5 के अनुसार सदस्यता की आवश्यक अर्हताएं रखते हों । प्रबन्ध कमेटी द्वारा किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने से इन्कार करने पर उस व्यक्ति को निर्णय होने की तिथि से सात दिन के भीतर कारण बताते हुए संसूचित करना होगा जिसके विरुद्ध संसूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर निबन्धक को अपील की जा सकेगी ।

7—सदस्य बनने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश शुल्क में 1 रुपया देना होगा जो वापस नहीं होगा ।

8—(क) समिति की सदस्यता के लिये स्वीकृति किये जाने के पूर्व प्रत्येक सदस्य इस आशय का एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति की वर्तमान उप-विधियों और उसके किसी संशोधन को मानने के लिये बाध्य होगा । ऐसा घोषणा -पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होगा ।

(ख) प्रारम्भिक सदस्यों से भी समिति के निबन्धन के एक माह के अन्दर ऐसे घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायगी । ऐसा न करने की अवस्था में वे नियम 56 के अधीन समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने के भागी होंगें ।

9—कोई सदस्य, सदस्यता के अधिकारों का उस समय तक उपयोग नहीं कर सकता है जब तक उसने उप-विधि 8 के अनुसार घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर न कर दिये हों, अपना प्रवेश शुल्क न दे दिया हो तथा खरीदे गये हिस्सों अथवा हिस्से की पहली किस्त न अदा कर दी हो ।

10—नियमों की व्यवस्था के अनुसार कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है जिसे, उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, समिति की पूंजी में उसका हिस्सा या हित संक्रमित किया जायगा, अथवा उसके मूल्य का या समिति द्वारा उसे किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायेगा । ऐसा सदस्य ऐसे नाम-निर्देशन को समय-समय पर मंसूख कर सकता है या बदल सकता है ।

11—कोई भी सदस्य भर्ती की तारीख से एक वर्ष के भीतर समिति से त्याग-पत्र नहीं दे सकेगा । ऐसी अवधि बीतने के बाद यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी अदत्त ऋण का प्रतिभूत हो, समिति को कम से कम एक मास का नोटिस देने के बाद समिति की सदस्यता छोड़ सकता है । सदस्यता छोड़ देने की नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायगी । इस तरह सदस्यता समाप्त होने पर भी सदस्य का उत्तरदायित्व धारा 25 के अनुसार देय धनों के सम्बन्ध में दो वर्ष तक बना रहेगा ।

12—(क) अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित रीति से किसी भी सदस्य को सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदि:—

(1) वह समिति का लगातार बकायादार हो,

(2) वह अर्हताओं की पूर्ति न करता हो, या उसने अधिनियम, नियमों अथवा इन उप-विधियों के अधीन व्यवस्थित अनर्हता अर्जित कर ली हो,

(3) वह विकृत चित्त का हो जाय ,

(4) वह समिति से लिये हुए ऋण का उपयोग उस उद्देश्य की पूर्ति में नहीं करता जिसके लिये उसने ऋण लिया है ,

(5) वह अपने निजी उपयोग के अतिरिक्त वायदे के अनुसार ऊन की मात्रा जानबूझकर समिति को न दे या कुछ ऊन दूसरे को बिना प्रबन्ध कमेटी की अनुमति के बेच देवे,

(6) वह ऊन में मिलावट करे ।

(ख) अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित रीति से किसी सदस्य को सदस्यता से निकाला जा सकता है :—

(1) यदि उसने समिति की उप-विधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुंचाई हो,

(2) यदि उसने इन उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कोई गलत घोषणा की हो या किसी सारवान सूचना को दबाया हो जिसके कारण उसे अनुचित लाभ हुआ हो अथवा उससे समिति की आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाइयां हुई हों।

(ग) खंड 'क' तथा 'ख' के अन्तर्गत हटाये अथवा निकाले गये सदस्य को निर्णय की सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित रीति से अपील करने का अधिकार होगा।

(घ) हटाये अथवा निकाले गये सदस्य पर यदि समिति का ऋण अथवा और कोई रुपया निकलता हो तो समिति वह सब रुपया एक ही बार में वसूल कर सकती है।

13—कोई व्यक्ति जो इस समिति की सदस्यता से हटाया अथवा निकाला गया हो हटाने अथवा निकालने के आदेश के प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर, समिति में पुनः सदस्य न हो सकेगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर समिति के अधीन कोई पद ग्रहण करने अथवा प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिये खड़ा होने का भी पात्र नहीं होगा।

14—समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने, हटा देने, अथवा निकाल दिये जाने तथा मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप सदस्यता समाप्त होने की दशा में किसी सदस्य के हिस्से का धन सम्बन्धित सदस्य अथवा मृत सदस्य के नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति दायात अथवा विधिक प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं किया जायेगा जब तक कि समिति का वह सभी ऋण जो सदस्य द्वारा स्वयं देना है अथवा किसी अन्य सदस्य को जामिन की हैसियत से देना है, चुका नहीं दिया जाता और अधिनियम की धारा 25 के अनुसार निर्धारित दो साल की अवधि व्यतीत नहीं हो जाती। समिति को ऐसे हिस्से के रुपये पर उस तिथि तक ब्याज देना होगा जो कि उसने रुपया वापस करने के लिये निश्चित की हो। इस ब्याज की दर उस लाभांश की दर से अधिक न होगी जो समिति ने पिछले बार दिया हो।

दायित्व

15—प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व उसके अभिदत्त हिस्सों के मूल्य के पांच गुने तक सीमित होगा।

पूंजी

16—समिति की पूंजी निम्नलिखित में से एक या सभी साधनों से प्राप्त की जा सकती है—

(अ) प्रवेश शुल्क।
(ब) कर्ज पर प्राप्त धन या जमा किया धन।

(स) हिस्सों से प्राप्त धन।
(द) दान से प्राप्त धन।
(इ) विशेष चन्दे।
(क) रक्षित तथा अन्य कोष।

शेयर (हिस्से)

17—(अ) समिति की पूंजी अनिर्धारित संख्या के हिस्सों से बनेगी। प्रत्येक हिस्से का मूल्य 10 रुपये होगा। इसमें से 5 रुपया प्रार्थना-पत्र के साथ दिये जायेंगे और बाकी रुपये पांच माहवारी किस्तों में अदा करना होगा।

(ब) हर सदस्य कम से कम एक हिस्सा खरीदेगा। इसके अतिरिक्त सदस्य को उतने हिस्से और खरीदने होंगे जिन्हें प्रबन्ध कमेटी उस सदस्य के लिये निर्धारित करेगी। कोई भी सदस्य हिस्से की पूंजी के 1/5 भाग अथवा 5,000 रु, जो भी कम हो, से अधिक मूल्य के हिस्से नहीं खरीद सकता है।

(स) हिस्से के सर्टिफिकेट पर समिति की सील होगी और उस पर समिति सचिव तथा प्रबन्ध कमेटी के एक सदस्य के हस्ताक्षर रहेंगे। यह सर्टिफिकेट तब दिया जायेगा जब हिस्से की सारी रकम अदा कर दी गई हो।

(द) अगर यह सर्टिफिकेट खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो इसकी प्रतिलिपि 50 नया पैसा देकर प्राप्त की जा सकती है।

18—अगर कोई सदस्य हिस्से की रकम की किस्त 3 माह से अधिक समय तक नहीं देता है तो प्रबन्ध कमेटी नोटिस देकर उन हिस्सों तथा उन पर दिये गये धन को जब्त कर सकती है और उस व्यक्ति की इन हिस्सों के कारण प्राप्त सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे जब्त किये गये हिस्सों को जब्त करने की तिथि से 6 माह के भीतर बकाया रकम अदा करके और प्रति हिस्से पर 1 रुपया नवीनीकरण फीस देकर फिर चालू किया जा सकता है। जब्त किये गये हिस्सों का धन रक्षित कोष में डाल दिया जायेगा।

19—कोई भी सदस्य अपने हिस्से या हिस्सों को प्रबन्ध कमेटी द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों तथा सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता है। जो सदस्य अपने हिस्सों को दूसरे को देना चाहता है वह इस बात की सूचना समिति को देगा जो उसे ऐसे मामलों में सहायता करेगी।

20—समिति की पूंजी का उपयोग उसके उद्देश्यों की पूर्ति में किया जायेगा। पूंजी का वह भाग जिसकी तुरन्त आवश्यकता नहीं पड़ सकती है अधिनियम तथा नियमों की व्यवस्था के अनुसार लगाया अथवा जमा किया जायेगा।

अधिकतम दायित्व

21—(अ) समिति का अधिकतम दायित्व उसकी वार्षिक सामान्य बैठक में निश्चित किया जायेगा जो, बिना निबन्धक की विशेष स्वीकृति के उसकी निजी पूंजी के दस गुने से अधिक न होगा।

(ब) वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा निश्चित अधिकतम दायित्व, यदि समिति किसी केन्द्रीय समिति से सम्बद्ध हो और उसकी ऋणी हो तो उस केन्द्रीय समिति के अनुमोदन के अधीन होगा और, यदि समिति किसी केन्द्रीय समिति से सम्बद्ध न हो अथवा, यदि सम्बद्ध हो किन्तु उसकी ऋणी न हो, तो निबन्धक के अनुमोदन के अधीन होगा।

ऋण और अमानतें

22—वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा निश्चित अधिकतम दायित्व के अधीन रहते हुए, समिति, ऐसी शर्तों पर जो प्रबन्ध कमेटी निश्चित करे, ऋण तथा अमानतें ले सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ऋणों अथवा अमानतों पर ब्याज की दर उस ब्याज दर से अधिक न होगी जिस ब्याज दर पर सहकारी समितियों को वित्त पोषक सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है।

अनिवार्य चन्दा

23—समिति के व्यापार में घाटे की दशा में सामान्य निकाय सदस्यों से अनिवार्य चन्दा ले सकती है, जो बिना निबन्धक की विशेष अनुमति के निम्न दर से अधिक न होगा:—

(अ) सदस्यों को दिये जाने वाले मेंहनताने पर————————— प्रति रुपया।

(ब) सदस्यों को दिये जाने वाले बोनस का—————————प्रतिशत।

24—समिति अपनी पूंजी को—

(अ) सरकारी सेविंग्स बैंक में, या

(ब) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 की धारा 20 में दी गई सिक्योरिटीज में, या

(स) निबन्धक द्वारा स्वीकृत रजिस्टर्ड समितियों के हिस्सों अथवा अमानतों में,

(द) किसी बैंक में या किसी व्यक्ति के पास जो बैंकिंग का व्यापार करता है और निबन्धक द्वारा स्वीकृत हो।

(इ) अधिनियम तथा नियमों में दिये गये किसी अन्य ढंग से, लगा सकती है।

25—अधिनियम की धारा 59 में दी गई व्यवस्था तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा आदेशों के अनुसार समिति का रुपया निबन्धक द्वारा स्वीकृत बैंक में चालू खाते (करेन्ट एकाउन्ट) में जमा किया जा सकता है। यह रुपया सचिव और सभापति या प्रबन्ध कमेटी के किसी अन्य सदस्य, जिसे सचिव या सभापति की अनुपस्थिति में हस्ताक्षर करने का अधिकार हो, किसी दो के हस्ताक्षर से चेक द्वारा निकाला जा सकता है।

संगठन तथा प्रबन्ध

26—समिति का प्रबन्ध निम्नलिखित में निहित होगा —

(अ) सामान्य निकाय।

(ब) प्रबन्ध कमेटी।

(स) सुपरवाइजरी समिति, यदि हो।

(द) सभापति।

(इ) सचिव।

सामान्य निकाय

27—समिति का अन्तिम प्राधिकार सामान्य निकाय में निहित होगा जो सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि समिति में सदस्यों की संख्या 250 से अधिक हो तो प्रबन्ध कमेटी समिति के सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र को निबन्धक की पूर्व अनुमति से उतने आसन्नवर्ती चुनाव क्षेत्रों में विभाजित करेगी जितनी वह आवश्यक समझे। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से प्रत्येक————————— हिस्सेदारों अथवा उसके किसी अंश पर सामान्य निकाय के लिये एक प्रतिनिधि चुना जायेगा। ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि सामान्य निकाय में समिति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र किन्तु वार्षिक सामान्य बठक की नोटिस जारी करने क एक सप्ताह पूर्व तक सम्पन्न करा लिया जायेगा। नये प्रतिनिधियों के चुने जाने पर पुराने प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व स्वतः समाप्त हो जायेगा।

28—सामान्य निकाय की बैठकें निम्न प्रकार आयोजित की जायेंगी:—

(1) साधारण सामान्य बैठक—प्रबन्ध कमेटी समिति के कार्य सम्पादन के लिये जब आवश्यक हो परन्तु वर्ष में कम से कम चार बार अर्थात् प्रत्येक तीन माह में सामान्य निकाय की बैठक बुलायेगी जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा।

(2) वार्षिक सामान्य बैठक--प्रत्येक वर्ष वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किये जाने और लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र किन्तु 30 नवम्बर तक अथवा नियम 90 के अधीन निबन्धक द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर चाहे लेखा परीक्षण किया गया हो या नहीं, समिति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी। अधिनियम की धारा 32 (2) के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये प्रबन्ध कमेटी वार्षिक बैठक की तिथि तथा स्थान निश्चित करेगी--

(क) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के कार्य-कलाप के कार्य-क्रम का अनुमोदन;

(ख) उपविधि सं0 36 तथा सं0 42 के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों तथा सभापति व उप-सभापति (जो प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से चुने जायेंगे), का निर्वाचन, यदि कोई होना हो;

(ग) गत वर्ष के रोकड़ पत्र (बैलेंस शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर (यदि लेखा परीक्षण पूरी हो गई हो) विचार;

(घ) गत वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर, यदि लेखा परीक्षा पूरी हो गई हो, नियत रीति से विचार;

(ङ) नियमों में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए आगामी वर्ष के लिये समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना;

(च) अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के अनुसार शुद्ध लाभ का निस्तारण;

(छ) आगामी वर्ष के बजट पर विचार;

(ज) किसी ऐसे अन्य विषय पर विचार जो प्रबन्ध कमेटी आवश्यक समझे;

(3) असाधारण सामान्य बैठक--निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों के लिखित अधियाचन पर प्रबन्ध कमेटी एक मास के भीतर असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगी। प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर, जिसका वह निर्देश दें, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा। ऐसी बैठक को वे सभी अधिकार होंगे और उन्हीं नियमों के अधीन होगी जो इन उपविधियों के अनुसार बुलाई गई बैठक को हैं किन्तु इस प्रकार बुलाई गई बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार होगा जिनका उल्लेख अधियाचन में किया गया हो।

29--अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों की व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुये सामान्य निकाय के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे--

(1) निबन्धक या उनके अधीन किसी अधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारियों तथा केन्द्रीय समिति के निरीक्षणों पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रस्तुत सुझावों के साथ विचार करना।

(2) नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार सभापति या उप सभापति के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करना।

(3) पिछली बैठक की तिथि से समिति की प्रगति रिपोर्ट पर विचार करना।

(4) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक विनियम बनाना;

(5) जीवन सुधार का काम चलाने तथा किसी अन्य कार्य के लिये जो चन्दा वसूल होगा और उसकी दर तथा विधि निश्चित करना।

(6) उपविधियों में संशोधन करना।

(7) ऐसी तावान की दर निश्चित करना जो बिना पर्याप्त कारण के सामान्य निकाय की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से लिया जायेगा।

(8) उपविधि 28 (2) के सभी कार्य करना।

(9) अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के निर्णयों की अपील सुनना।

(10) सदस्यों की ऋण सीमा निर्धारित करना।

(11) ऐसे अन्य आवश्यक निर्णय जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रस्तुत किये जायें, पर विचार।

(12) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के लिये भत्ता संबंधी नियम (उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के अध्याय 27 के नियमों को दृष्टि में रखते हुये) बनाना।

30--सिवाय नियम 25 की व्यवस्था के, सामान्य निकाय की बैठकें बुलाने के लिये साधारणतया सात दिन की नोटिस दी जायेगी, किन्तु ऐसी बैठकें, जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होना हो अथवा समिति के विभाजन का या समामेलन का विषय विचारणीय हो, के लिए कम से कम 15 दिन की नोटिस देना आवश्यक होगा।

31--(अ) सामान्य निकाय का कोई सदस्य यदि साधारण बैठक में प्रस्ताव रखना चाहता है तो उसे चाहिये कि वह प्रस्ताव लिखित रूप में सचिव को बैठक की तिथि से 7 दिन पूर्व दे दे। विशेष अवस्था में सभापति इससे कम अवधि की नोटिस की भी स्वीकृति दे सकता है।

(ब) निम्नलिखित विषयों पर पहले से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है:

(1) कार्यावली के कार्यों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव;
(2) बैठक स्थगित करने या उसे समाप्त करने का प्रस्ताव;
(3) बैठक से कार्यावली के नये विषय पर विचार करने का प्रस्ताव;
(4) विचाराधीन विषय को बहस, निर्णय या रिपोर्ट के लिये प्रबन्ध कमेटी को विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव;
(5) ऐसा प्रस्ताव कि बैठक अपने को कमेटी या कमेटियों में विभाजित कर दे;
(6) बैठक के सामने किसी विषय पर विचार करने या रिपोर्ट देने के लिये कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव ।
(7) इस बात का प्रस्ताव कि विषय पर वोट ले लिये जायं।
(8) इस बात का प्रस्ताव कि बैठक उस विषय पर विचार करे जो प्रबन्ध कमेटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो;
(9) उपस्थित सस्दयों में से 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित विषय पर विचार करने का प्रस्ताव ।

32—(अ) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिये आवश्यक गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से होगी किन्तु यदि गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक स्थगित कर दी जाय तो स्थगित बैठक की गणपूर्ति सिवाय नियम 26 या नियम 97 में अन्यथा की गई व्यवस्था के, मूल गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या की आधी होगी ।

(ब) सामान्य निकाय के सदस्यों के अधियाचन पर बुलाई गई बैठक में यदि निश्चित समय के एक घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो, तो वह बैठक विघटित हो जायगी। अन्य दशाओं में यदि निश्चित समय के आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो: तो बैठक स्थगित हो जायगी जिसे प्रबन्ध कमेटी पुनः शीघ्र से शीघ्र बुलायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि वार्षिक सामान्य बैठक की स्थगित बैठक कार्य सूची में दिये गये स्थान तथा समय पर स्थगन के सोलहवें दिन होगी।

(स) बैठक की राय से सभापति किसी बैठक को समय-समय पर स्थगित कर सकता है पर जब भी बैठक होगी तो उसी विषय पर विचार किया जायगा जो बैठक स्थगित करते समय अधूरा रह गया था ।

33—सभापति और उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति सामान्य निकाय की समस्त बठकों का सभापतित्व करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय द्वारा अपने सदस्यों में से चुना हुआ व्यक्ति उस बैठक का सभापतित्व करेगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बैठक का सभापतित्व जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होना हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायगा जो स्वयं किसी पद के लिये प्रत्याशी हो ।

34—सामान्य निकाय के सदस्यों को बैठकों की सूचना लिखित नोटिस भेज कर अथवा समिति के कार्यक्षेत्र में ढिंढोरा पीट कर व किसी प्रमुख स्थान तथा समिति के कार्यालय पर नोटिस चिपका कर दी जायेगी किन्तु नोटिस द्वारा सूचना भेजने में कोई त्रुटि रह जाने पर बैठकों की कार्यवाही केवल इसी आधार पर अवैध न होगी ।

35—(अ) अधिनियम की धारा 20 के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा । अनुपस्थित सदस्यों को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा । सिवाय ऐसे विषयों के जिनके लिये अधिनियम तथा नियमों में विशिष्ट बहुमत की व्यवस्था की गई है, सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे । किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह विषय पदाधिकारियों के चुनाव का है तो सभापति अपना द्वितीय या निर्णायक मत नहीं देगा, अपितु उसका निर्णय लाटरी डाल कर किया जायेगा ।

(ब) समिति के सचिव का कर्तव्य होगा कि वह सामान्य निकाय के ऐसे सदस्यों की सूची रक्खे जिन्हें बैठकों में मतदान देने का अधिकार हो । यह सूची प्रत्येक बैठक की नोटिस जारी करने के दिन तक पूर्ण कर ली जायेगी जो मांग करने पर सदस्यों को निःशुल्क दिखलाई जायगी । यदि कोई सदस्य इस सूची की प्रति प्राप्त करना चाहे तो वह प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित शुल्क देकर प्राप्त कर सकेगा । ऐसी बैठक जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होना हो की नोटिस जारी होने के बाद (यदि नियमों में इसके प्रतिकूल व्यवस्था न हो) कोई व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं बनाया जायगा ।

प्रबन्ध कमेटी

36—प्रबन्ध कमेटी में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(1) सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने हुए 9 व्यक्ति जिनमें सभापति तथा उप-सभापति भी सम्मिलित होंगे;
(2) निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति;
(3) वित्त पोषक संस्था, यदि हो, का नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति ।

प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रबन्ध कमेटी के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य निर्बल वर्ग के होंगे । यदि समिति निर्दिष्ट संख्या में निर्बल वर्ग के सदस्यों का निर्वाचन न कर सके अथवा उनमें कोई रिक्ति हो जाये तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उक्त पदों पर निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर दे ।

स्पष्टीकरण:—इन उपविधियों के प्रयोजन हेतु निर्बल का तात्पर्य वही होगा जैसा नियम 393 में दिये गये स्पष्टीकरण में उल्लिखित है ।

37—(अ) प्रबन्ध कमेटी के चुने हुए सदस्य तीन वर्ष तक पदासीन रहेंगे जिसमें उनके निर्वाचन का वर्ष भी सम्मिलित होगा ।

(ब) प्रबन्ध कमेटी के नाम-निर्दिष्ट सदस्य नाम-निर्देशन करने वाले प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पदासीन रहेंगे ।

(स) प्रबन्ध कमेटी के अवकाश प्राप्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रबन्ध कमेटी का कोई भी चुना हुआ सदस्य दो लगातार पदाविधियों से अधिक पदासीन नहीं रह सकेगा । ऐसा सदस्य तीन पूरे वर्ष तक लगातार पद से अलग रहने के उपरान्त पुनः चुने जाने का पात्र होगा । नियम 404 या 434 या 435 या धारा 35 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन धारित पदावधि पात्रता की अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

38—यदि प्रबन्ध कमेटी के किसी चुने हुए सदस्य का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो, तो वह प्रबन्ध कमेटी के शेष सदस्यों द्वारा समिति के सदस्यों में से जो कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र हों, शेष अवधि के लिये आमेलन द्वारा भरा जायेगा ।

39—कोई भी व्यक्ति प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दीवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत चित्त, बहरा और गूंगा या अंधा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो;

(घ) उसे पिछले पांच वर्ष की अवधि में निबन्धक की राय में नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिये दंड दिया गया हो और ऐसा दण्ड अपील में रद्द न किया गया हो;

(ङ) वह या निबन्धक की राय में उसके परिवार का कोई सदस्य, निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्यक्षेत्र में उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो जैसा समिति करती हो;

(च) वह अधिनियम या नियमों अथवा इन उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा करे पद स्वीकार करे या धारण करता है। किन्तु यह प्रतिबन्ध उन व्यक्तियों पर लागू न होगा जो निबन्धक की पूर्व अनुज्ञा से प्रतिकर भत्ता लेते हों,

(ज) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो;

(झ) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो किन्तु यह अनर्हता किसी नाम-निर्दिष्ट सदस्य पर लागू न होगी;

(ञ) वह पर्याप्त कारण के बिना प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, किन्तु यह अनर्हता नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू न होगी ।

(ट) वह अधिनिमय या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, जबतक कि दोष सिद्ध के दिनांक के तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो;

(ठ) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ड) वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में समिति या किसी अन्य सहकारी समिति का कम से कम छः मास से बकाया दार हो;

(ढ) वह सहकारी सेवा या किसी सहकारी समिति अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण, या अशचिता करने के लिये पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो, किन्तु यह अनर्हता पदच्युत किये जाने के पांच वर्ष व्यतीत हो जाने पर लागू न होगी ।

(ण) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपट-पूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न न किया गया हो।

(त) वह अधिनियम और नियम या इन उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो ।

40—प्रबन्ध कमेटी की बैठकें कम से कम प्रतिमास सभापति द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी । आमतौर से प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि की सूचना एक सप्ताह पूर्व दे दी जायगी। किसी कार्य को करने के लिये कम से कम 5 सदस्यों का होना आवश्यक है ।

कोई भी सदस्य ऐसे विषय की बहस या वोट में भाग नहीं लेगा जिसमें उसका निजी स्वार्थ हो।

41—प्रबन्ध कमेटी के निम्नलिखित अधिकार तथा कर्तव्य होंगे :—

(1) अधिनियम तथा नियमों की व्यवस्था के अधीन रहते हुये, कोषाध्यक्ष तथा अन्य वेतन पाने वाले अधिकारियों को नियुक्त करना;

(2) पूंजी एकत्र करना, जो वर्ष के लिये अधिकतम दायित्व की रकम से अधिक न होगी।

(3) प्रतिवर्ष समिति की वार्षिक सामान्य बैठक करके वार्षिक रिपोर्ट और जांचे गये आय-व्ययक का लेखा तथा अन्य सामग्री, जोकि निबन्धक कहें, बैठक के सामने प्रस्तुत करना;

(4) समिति के जांचे गये आय-व्ययक के लेखों को छपवाना ;

(5) इस सम्बन्ध में निबन्धक द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार समिति के वैतनिक तथा अवैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त तथा नौकरी से अलग करना और उसमें से सभी या कुछ व्यक्तियों से आवश्यकता को देखते हुये जमानत लेना ;

(6) उप विधि 12 के अनुसार अनर्ह किसी सदस्य को निकालना अथवा हटाना ;

(7) शिकायतों को सुनना तथा उन पर आवश्यक निर्णय करना;

(8) जमा किये गये धन पर समय-समय सूद की दर निर्धारित करना;

(9) निबन्धक की पूर्व स्वीकृति लेकर केन्द्रीय सहकारी समिति के हिस्से खरीदना ;

(10) निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से समिति का खर्च चलाने के लिये सदस्यों पर चन्दे लगाना;

(11) इन उपविधियों के अनुसार लाभांश देने और लाभ का निस्तारण करने के लिये सामान्य बैठक में प्रस्ताव रखना ;

(12) निबन्धक तथा पशुपालन विभाग के अन्य अधिकारियों की जांच की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अगली साधारण बैठक में उस पर प्रस्ताव रखना ;

(13) समिति या समिति के काम देखने वाले अधिकारियों के या उन पर किये गये दावों को किसी अधिकृत सदस्य या सदस्यों क द्वारा वादी के रूप में लड़ना, प्रतिवादी के रूप में लड़ना, समझौता करना या पंच निर्णय के लिये देना या उसे बिल्कुल छोड़ देना ;

(14) प्रस्ताव द्वारा अपने कुछ कर्तव्य तथा अधिकारों को प्रबन्ध कमेटी के किसी सदस्य सुपरवाइजरी कमेटी किसी अन्य अधिकारी या सदस्य को देना ।

(15) नये सदस्यों को भर्ती करना, उन्हें हिस्से देना और सदस्यो का त्याग-पत्र लेना;

(16) कार्यालय का काम नियमित करना;

(17) सचिव द्वारा किया गया या उसके द्वारा प्रस्तावित आकस्मिक व्यय की स्वीकृति देना;

(18) समिति के लेखा की जांच करना और निबन्धक की स्वीकृति लेकर समिति का लेखा आदि रखने के लिए विशेष प्रकार के फार्म निर्धारित करना;

(19) सदस्यों के हिस्सों के हस्तान्तरण के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना तथा उस पर आदेश जारी करना;

(20) समिति के धन तथा कागजात को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना;

(21) साधारण बैठक की स्वीकृति से समिति के काम चलाने के लिये नियम बनाना;

(22) निबन्धक द्वारा लगाई गई आडिट फीस का भुगतान करना;

(23) समिति के कार्य का निरीक्षण करना तथा कार्य चलाने के लिये निबन्धक की अनुमति लेकर इस अधिनियम तथा नियमों के आधार पर विनियम बनाना;

(24) ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम या नियमों के अनुसार आरोपित किये गये हों अथवा सामान्य निकाय द्वारा सौंपे गये हों;

(25) समिति के कर्मचारियों के लिए भत्ता सम्बन्धी नियम (उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के अध्याय 27 के नियमों को दृष्टि में रखते हुए) बनाना ।

सभापति—उप सभापति

42—(क) समिति उपविधि 27 (2) (ख) की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से एक सभापति तथा एक उप सभापति का निर्वाचन करेगी। सभापति तथा उप सभापति का कार्यकाल उप विधि 37 (अ) के अनुसार व्यवस्थित प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के कार्य-

काल के बराबर होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे अपने उत्तरधिकारियों के चुने जाने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(ख) सभापति अथवा उप सभापति के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होने पर सामान्य निकाय के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से किसी को शेष अवधि के लिये चुन सकती है परन्तु जब तक सभापति के रिक्त स्थान की पूर्ति उपर्युक्त प्रकार से सामान्य निकाय नहीं कर लेती तब तक उप-सभापति, सभापति के कर्त्तव्यों व अधिकारों को करेगा।

43—(क) सभापति समिति के मामलों तथा कार्यों के लिये नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ-प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों, इन उपविधियों तथा प्रबन्ध कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। आकस्मिक परिस्थितियों में वह प्रबन्ध कमेटी के किन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार प्रयोग में लाए गये अधिकार द्वारा किये गये कार्य को प्रबन्ध कमेटी की अगली बैठक में पुष्टि हेतु रखा जायेगा।

(ख) उप सभापति ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे सभापति द्वारा प्रबन्ध कमेटी की पूर्व अनुमति से लिखित रूप में दिये जायें।

(ग) सभापति तथा उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की समस्त बैठकों का (सिवाय नियमों अथवा इन उपविधियों में की गई अन्यथा व्यवस्था के) सभापतित्व करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्यों द्वारा अपने में से किसी को उक्त बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुना जायेगा।

सचिव

44—अधिनियम की धारा 120 के उपबन्धों के और धारा 121, 122 और 122-क के अधीन बनाये गए विनियमों के उपबन्धों तथा नियमों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध कमेटी समिति का एक सचिव नियुक्ति करेगी तथा उसकी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित करेगी।

45—सचिव समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा सभापति और प्रबन्ध कमेटी के नियंत्रण में रहते हुए निम्न अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।

(1) समिति के कार्य के सम्यक प्रबन्ध तथा कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होना;

(2) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करना;

(3) इन उपविधियों के अधीन रहते हुए समिति के लेखों का परिपालन करना तथा यदि समिति में कोई खंजाची न हो तो समिति की रोकड़ बाकी का प्रबन्ध करना तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रखना;

(4) समिति की ओर से और उसके लिये किसी लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रमाणित करना;

(5) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूपसे तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होना;

(6) सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों को बुलाना तथा ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रखना;

(7) ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा कर्त्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम तथा नियमों की व्यवस्था के अनुसार सचिव पर आरोपित किये गये हों अथवा सभापति या प्रबन्ध कमेटी द्वारा सौंपे जायें;

प्रबन्ध कमेटी आवश्यकतानुसार सचिव की सहायता के लिये, अधिनियम तथा नियमों में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है तथा उसे या उन्हें सचिव के ऐसे अधिकार एवं कर्त्तव्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे।

कोषाध्यक्ष

46—कोषाध्यक्ष समिति द्वारा प्राप्त किये गये धन को सुरक्षित रखेगा और प्रबन्ध कमेटी, सचिव, सभापति या अन्य अधिकृत व्यक्ति के आदेश पर इसका निपटारा करेगा। वह रोकड़बही और सदस्य की पास बुक (जैसा निबन्धक या प्रबन्ध कमेटी निर्धारित करे) पर इस आशय से हस्ताक्षर करेगा कि वे ठीक हैं और समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति निबन्धक या पशुपालन विभाग के अन्य अधिकारी के मांगने पर शेष रोकड़ दिखायेगा। आकस्मिक खर्चों को चलाने के लिये समय-समय पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर वह नकद धन अपने पास रख सकता है। वह इस धन के लिए हर प्रकार से जिम्मेदार होगा।

लाभ वितरण

47--(क) समिति अपने वर्ष के शुद्ध लाभ में से--

(1) ऐसी धनराशि, जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित करेगी जो रक्षित निधि कहलायेगी; और

(2) कम से कम एक प्रतिशत किन्तु 2,500 रु० से अनधिक नियमों के अधीन और उनके अनुसार स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में जमा करेगी;

(ख) उपरोक्त निधियों में संक्रमित अथवा जमा करने के उपरान्त जो धन शेष बचे उसमें से बांटने योग्य लाभ निकालने के लिये निम्नलिखित छोड़ दिया जायगा--

(1) सभी ब्याज जो अतिदेय हो;

(2) सभी अर्जित ब्याज जो ऐसे सदस्यों से देय हो, जिनसे ब्याज अतिदेय हो;

(3) ऐसी उधार बिक्री पर जिसकी वसूली अतिदेय हो, अर्जित कमीशन या लाभ सीमा।

(ग) उपरोक्त रीति से निकाले गये वितरण योग्य लाभ को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों द्वारा नियत हों, निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जा सकता है--

(1) सदस्यों को उनकी दत्त अंश पूंजी पर 9 प्रतिशत अनधिक दर से लाभांश का भुगतान;

(2) सदस्यों को व्यापार की जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, राशि या माल्रा पर, वितरण योग्य लाभ के आधे से अनधिक बोनस का भुगतान;

(3) अशोध्य ऋण निधि, भवन निधि, राष्ट्रीय रक्षा निधि अंश संक्रमण निधि, ग्राम सुधार निधि, विकास निधि, लाभांश समीकरण निधि या किसी अन्य निधि का, जो सामान्य निकाय आवश्यक समझे, संगठन या उसमें अंशदान;

(4) चैरिटेबिल एनडाउमेंट ऐक्ट, 1890, की धारा 2-क में यथा परिभाषित किसी (charitable purpose) की पूर्ति के प्रयोजन के लिये--5 प्रतिशत अनधिक धनराशि का दान;

(5) सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित रीति तथा सीमा तक कर्मचारियों को बोनस का भुगतान; और

(6) आगामी वर्ष के लाभ में आगे ले जाना।

48--समिति की रक्षित निधि तथा अन्य निधियां अधिनियम की धारा 59 तथा नियम 173 में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार विनियोजित अथवा जमा की जायेंगी।

सामान्य उपविधियां

49--रक्षित निधि बांटी नहीं जा सकती और कोई सदस्य उसमें हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं होगा।

50--(क) समिति के समापन की दशा में, समिति की रक्षित निधि और अन्य निधियों का प्रयोग सबसे पहिले नियम 171 में निर्दिष्ट पूर्वता के आधार पर समिति के दायित्वों का उन्मोचन करने के लिये उसके बाद दत्त अंशपूंजी का प्रतिदान करने के लिये, और तत्पश्चात् यदि किसी अवधि के लिये लाभ से लाभांश का भुगतान न किया गया हो तो ऐसी अवधि के लिये नौ (9) प्रतिशत से अनधिक दर पर लाभांश का भुगतान करने के लिये, किया जायगा।

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भुगतान करने के पश्चात् यदि कोई धनराशि शेष रह जाय तो उसका प्रयोग ऐसे दान के प्रयोजनों (charitable purpose)और राष्ट्रीय रक्षा निधि या लोक उपयोगिता के स्थानीय उद्देश्यों में अंशदान देने के लिये किया जायेगा जिसे प्रबन्ध कमेटी चुने और जिसका निबन्धक अनुमोदन करें। यदि प्रबन्ध कमेटी निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर किसी ऐसे उद्देश्य को न चुन सके जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो तो निबन्धक अतिरिक्त निधि का प्रयोग या तो राष्ट्रीय रक्षा निधि में अथवा नियम 138 में अभिदिष्ट सहकारी शिक्षा-निधि में अंशदान देने के लिये कर सकता है।

51--समिति द्वारा सम्पादित कार्यवाही अभिलिखित करने के लिये ऐसे प्रपत्र पर, जिसे निबन्धक समय-समय पर निर्दिष्ट करें, निम्नलिखित लेखा पुस्तकें तथा रजिस्टर रखे जायेंगे--

(1) समिति की सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने के लिये कार्यवृत्त पंजी;

(2) समिति की सदस्यता के लिये प्रार्थना-पत्र का रजिस्टर जिसमें प्रार्थी का नाम और पता, प्रार्थित अंशों की संख्या तथा अस्वीकृति की दशा में प्रार्थी को सदस्यता, की अस्वीकृति का निर्णय संसूचित करने का दिनांक दिया होगा;

(3) सदस्यों का रजिस्टर जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम और पता, सदस्य होने का दिनांक, लिये गये अंश तथा ऐसे अंशों की धनराशि के भुगतान का दिनांक, सदस्यता समाप्त होने का दिनांक तथा समाप्ति के कारण दिखाये जायं;

(4) नाम-निर्देशनों का रजिस्टर (जो नियम 77 के अनुसार सदस्यों द्वारा दिये गये हों);

(5) सदस्यों के प्रतिनिधियों का रजिस्टर, यदि समिति की सामान्य निकाय का गठन सदस्यों के प्रतिनिधियों से हुआ हो;

(6) रोकड़ बही जिसमें दैनिक प्राप्तियां और व्यय तथा अंत में प्रतिदिन की शेष धनराशि दिखाई जायंगी;

(7) रसीद बही;

(8) प्रत्येक सदस्य के लिये खाता बही;

(9) प्रमाणक (वाउचर) पत्रावली जिसमें समिति द्वारा किये गये व्यय के लिये समस्त प्रमाणक (वाउचर) क्रमवार संख्यांकित तथा कालानुसार नत्थी किये जायेंगे;

(10) सामान्य खाता बही जिसमें दिन प्रतिदिन विभिन्न शीर्षकों (मदों) के अधीन प्राप्तियां तथा भुगतान और अदत्त धनराशियां दिखाई जायेगी;

(11) अधिकारियों और पदाधिकारियों की, जिसके अन्तर्गत प्रतिनिधि भी हैं, नियुक्ति का रजिस्टर;

(12) निरीक्षण पुस्तिका;

(13) ऐसे अन्य रजिस्टर और पुस्तकें जो निबन्धक समय-समय पर निर्दिष्ट करें अथवा नियमों की व्यवस्था या समिति के कार्य के अनुसार आवश्यक हों।

52—समिति का लेखा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जांचा जायेगा।

53—उपविधि 51 में दी हुयी व्यवस्था के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी किसी व्यक्ति द्वारा, जो इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया हो, समिति का लेखा जांच करा सकती है।

54—बअधिनियम की धारा 70 में उल्लिखित पक्षों के बीच समिति के संगठन, प्रन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से संबद्ध विवाद से भिन्न समस्त विवाद अधिनियम और नियमों के उपबन्धों क अनुसार कार्यवाही के लिये निबन्धक को अभिदिष्ट किय जायेंगे और निर्णीत होंगे।

55—उपविधियों में संशोधन करने के प्रयोजन के लिये बुलाई गई किसी सामान्य बैठक में उपस्थित कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी उप-विधि में संशोधन किया जा सकता है; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निबंधक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान, उप-विधियां या संशोधन अथवा ऐसे संशोधन जिन्हें करने के लिये निबन्धक धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा करे केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किये जा सकते हैं।

56—(क) उप विधियों में संशोधन करने के निमित्त सामान्य बैठक बुलाने के लिये सदस्यों को नियम 25 के अनुसार नोटिस दी जायेगी।

(ख) ऐसी बैठक के लिये सामान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई की गणपूर्ति अपेक्षित होगी:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि किसी बैठक में अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक समिति को यह निर्देश दे सकता है कि वह दूसरी बैठक बुलावे जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम करके 1/5 कर दी जायगी जिसकी लिखित सूचना सदस्यों को भेजी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से ही अनुमोदित प्रतिमान (माडेल) उप विधियों या संशोधनों के अंगीकार किये जाने की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) क अधीन यह निर्देश दिये जाने पर कि उसे समिति द्वारा अंगीकार किया जाय तो अपेक्षित गणपूर्ति को उस दशा में जब बैठक 1/5 की कम की गई गणपूर्ति के अभाव में न हो 1/7 तक और कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। यह तथ्य कि बैठक 1/7 की और कम की गई गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक की कार्य-सूची की नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा।

निर्वाचन विनियम

57—प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन उ0 प्र0 सहकारी अधिनियम नियमावली तथा निबन्धक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी033 पशुपालन—4865—23—8—77—5,000 (हिन्दी)।